



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभारी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1173/2010 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सुभाष पुत्र रामपाल प्रजापति निवासी पलरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर 2.रामकरन पुत्र पुन्ना प्रजापति निवासी सिलौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री सुशील  
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-  
निरी0 सूबेदार सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
का0 जगत सिंह